



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 98 राँची, बुधवार,

19 फ़रवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

तार्किक आदेश

22 जनवरी, 2025

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-56/2018 का० 377--श्रीमती पूनम कुमारी झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-585/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (किशनगंज), बिहार के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्रांक-3125, दिनांक 21.03.2007 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री झा के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया :-

आरोप सं०-1- अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज के पद पर रहते हुए अभिलेख खोलकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-1697/रा०, दिनांक 22.11.1995 को आधार मानकर चाय की खेती के लिए 08 (आठ) आवेदकों के साथ सरकारी भूमि की अस्थायी लीज बन्दोबस्ती के लिए आपने अनुशंसा की है, जिसके लिए आप सक्षम नहीं थीं। आपका यह कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के दिशा-निर्देश के प्रतिकूल है ।

आरोप सं०-2- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-1697/रा०, दिनांक 22.11.1995 के आलोक में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर पाँच एकड़ भूमि आवंटित किया गया था। आपने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार के इस परिपत्र का गलत व्याख्या कर चाय के खेती के लिए लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा की है, जो नियम विरुद्ध है।

आरोप सं०-3- किशनगंज जिला के ठाकुरगंज एवं पोठिया अंचल में चाय की खेती के लिए आपके द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन की भी लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा की गई है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-576/रा०, दिनांक 08.04.1999 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। गैरमजरूआ आम जमीन की प्रकृति बदल जाने पर भी बन्दोबस्ती का अधिकार सरकार में निहित है।

आरोप सं०-4 - एक ही सम्पन्न परिवार के कई व्यक्तियों के साथ आपके द्वारा सरकारी भूमि की लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा की गई, जो सरकारी निदेशों एवं नियमों के प्रतिकूल है एवं यह बन्दोबस्ती निहित स्वार्थवश किया गया प्रतीत होता है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-6428, दिनांक 15.10.2011 द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री सतेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०, तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प सं०-8263, दिनांक 22.12.2011 द्वारा श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष के आलोक में तथा जिला समाहर्ता, किशनगंज के पत्रांक-114/जि०रा०, दिनांक 22.01.2014 द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध आरोपों से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेख प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध पुनः विभागीय संकल्प सं०-3766, दिनांक 25.04.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी, श्री सिन्हा के पत्रांक-622, दिनांक 31.12.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या-1, 2, 3 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। श्रीमती झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

4. उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक- 8786, दिनांक 07.10.2016 द्वारा श्रीमती झा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्रीमती झा के पत्रांक-485, दिनांक 03.11.2016 एवं पत्रांक-541(ii)/न०, दिनांक 01.12.2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्रीमती झा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य/अभिलेख नहीं दिये गये हैं तथा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है, जो बचाव बयान के दौरान समर्पित किये गये थे एवं जिन पर पूर्व में विचार किया जा चुका है।

5. समीक्षोपरांत, श्रीमती झा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-4005, दिनांक 27.03.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. विभागीय संकल्प सं०-4005, दिनांक 27.03.2017 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती झा के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No.-471/2018 पूनम कुमारी झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

W.P.(S) No-471/2018 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

“-----5.Having heard learned counsel for the parties and after going through the judgments passed by the Patna High Court in C.W.J.C. No.-15658 of 2016 & C.W.J.C. No.-10098 of 2014, the instant writ application is hereby disposed of by quashing the order of punishment dated 27.03.2017 with a direction to the petitioner to file a fresh representation before the respondent no. 2 along with judgment passed by Patna High Court in the case of similarly situated co-employees within a period of 6 weeks from today. If any such representation is preferred by the petitioner, the respondent no. 2 shall look into the matter and if the case of the petitioner is exactly on the similar footing with her co-employees, who have been exonerated, then he shall pass a reasoned order within a period of 12 weeks from the date of receipt of the representation. It goes without saying that if any positive order is passed in favour of the petitioner, then consequential benefits shall also be extended to her within a further period of 12 weeks from passing of the reasoned order.”

7. श्रीमती झा द्वारा दिनांक 24.05.2024 को आवेदन समर्पित किया गया। उक्त आवेदन में उनके द्वारा W.P.(S) No.-471/2018 पूनम कुमारी झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2024 को पारित न्यायादेश, C.W.J.C. No.-15658/2016 फतेह फैयाज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2017 को पारित न्यायादेश तथा C.W.J.C. No.-10098/2014 रघुनन्दन झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 को पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण एवं अंत में दण्डित किये जाने के कारण वंचित सेवा संबंधी लाभों यथा इनके बैच एवं इनके जूनियर बैच के पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव में दी गई प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने, प्रोन्नति से प्राप्त वेतनमान के अनुसार वेतनवृद्धि एवं पेंशन पुनर्निर्धारण करने तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाले उपादान प्रदान करने आदि का अनुरोध किया गया है।

8. उपरोक्त वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं श्रीमती झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-4551, दिनांक 05.08.2024 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की माँग की गई

(क) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-218 दिनांक 11.02.2006 द्वारा गठित आरोप पत्र में से श्री फतेह फैयाज, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया एवं श्री रघुनन्दन झा, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया के विरुद्ध गठित आरोप पत्र की प्रति ।

(ख) क्या श्री फतेह फैयाज, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया, श्री रघुनन्दन झा, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया एवं श्रीमती पूनम झा, तत्कालीन अंचलाधिकारी, ठाकुरगंज के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप समान प्रकृति के हैं ?

(ग) CWJC No-15658/2016 फतेह फैयाज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 25.07.2017 को पारित न्यायादेश एवं CWJC No-10098/2016 रघुनन्दन झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 को पारित न्यायादेश के क्रम में की गयी कार्रवाई से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन।

उक्त न्यायादेश के क्रम में यदि श्री फतेह फैयाज एवं श्री रघुनन्दन झा को आरोप मुक्त किया गया है या कोई आदेश पारित किया गया हो तो उक्त आदेश की प्रति ।

(घ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-218 दिनांक 11.02.2006 द्वारा अन्य सभी 07 पदाधिकारियों के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के क्रम में की गई कार्रवाई एवं लिये गये निर्णय के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन ।

9. उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12256, दिनांक 05.08.2024 द्वारा कंडिका-क, ग एवं घ के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही, श्रीमती झा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण कंडिका-ख का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्रीमती पूनम कुमारी झा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति की माँग की गई ।

10. उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक-5977, दिनांक 20.09.2024 द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजते हुए बिन्दुख के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी है, जिसके क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-16679, दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

11. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12256 दिनांक 05.08.2024 एवं पत्रांक-16679 दिनांक-16.10.2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनों एवं संचिका में संधारित अभिलेखों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि-

(i) किशनगंज जिला के ठाकुरगंज एवं पोठिया अंचल में चाय की खेती के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र की गलत व्याख्या कर लीज बंदोबस्ती करने एवं एक ही परिवार के लोगों के साथ लीज बन्दोवस्ती करने आदि के आरोप से संबंधित कुल दस पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है ।

(ii) माननीय न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में मो० फतेह फैयाज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पोठिया एवं श्री रघुनन्दन झा, तत्कालीन अंचलाधिकारी, पोठिया के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया गया है एवं अन्य 04 पदाधिकारियों को उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत कालबाधित रहने के कारण आरोप मुक्त किया गया है। एक पदाधिकारी के विरुद्ध दण्ड प्रभावी है।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-16679 दिनांक 16.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि मो० फतेह फैयाज, श्री रघुनन्दन झा एवं श्रीमती पूनम कुमारी झा के विरुद्ध गठित आरोप में कतिपय भिन्नता है। श्रीमती पूनम कुमारी झा के विरुद्ध चार आरोप प्रतिवेदित हैं, जबकि मो० फतेह फैयाज एवं श्री रघुनन्दन झा के विरुद्ध तीन आरोप प्रतिवेदित हैं। उन सबों के विरुद्ध तीन आरोप समान प्रकृति के हैं, परन्तु श्रीमती पूनम कुमारी झा के विरुद्ध एक अतिरिक्त आरोप प्रतिवेदित है, जो किशनगंज जिला के ठाकुरगंज एवं पोठिया अंचल में चाय की खेती के लिए उनके द्वारा गैरमजरूआ आम जमीन की लीज बन्दोबस्ती की अनुशंसा करने से संबंधित है, जो अन्य दो पदाधिकारियों के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों से भिन्न है। श्रीमती झा के विरुद्ध उक्त आरोप भी अन्य आरोपों के साथ विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में प्रमाणित पाया गया है।

(iv) प्रासंगिक मामले में श्रीमती झा एवं अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-47/2012 दिनांक 25.06.2012 दर्ज है। उक्त मामले में विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-51/जे०, दिनांक 09.05.2013 द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4950, दिनांक 02.07.2019 द्वारा उक्त कांड में श्रीमती झा के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किये जाने की सूचना दी गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती पूनम कुमारी झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-585/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (किशनगंज), बिहार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अन्य पदाधिकारियों मो० फतेह फैयाज, बि०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पोठिया एवं श्री रघुनन्दन झा, बि०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पोठिया के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप में भिन्नता के आधार पर श्रीमती झा के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-4005, दिनांक 27.03.2017 द्वारा उनके विरुद्ध अधिरोपित झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
